न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र संख्याः— 75 / 2018

1. प्रतापसिंह } पिसरान गजपतसिंह } अकवाम जाट, निवासी
2. दिगम्बर सिंह } ग्राम तुहिया, तहसील व
3. मुकेश } पिसरान महेन्द्रसिह } जिला भरतपुर (राज0)
4. महेश }

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. मुकेश } पिसरान निहालसिंह } अकवाम जाट, निवासी
2. मुनेश } ग्राम तुहिया, तहसील व
3. सुरेश सिंह } जिला भरतपुर
4. संजय सिह } पिसरान ओमवीरसिंह } (राज0)
5. सुनील सिह }
6. ओमवीर सिह पुत्र छत्तर सिंह }

..... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

आदेश

दिनांकः— 11—02—2019

प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए. विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नंबरान 1701 / 0.22, 1705 / 0.09, 1711 / 0.04, 1712 / 0.07, 1713 / 0.07 कुल किता 5 रकबा 0.49 हैक्टेयर वाके ग्राम तुहिया तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण वहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त आराजी मुतनाजा से अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध अथवा सरोकार नही है चूंकि उक्त आराजी गांव की आबादी के सहारे स्थित है और अप्रार्थीगण लठैत पैसे वाले व पहुॅच वाले तथा पुलिस में सर्विस करने वाले व्यक्ति हैं जिससे प्रार्थीगण के अन्य भूमि पर विवाद चल रहे हैं इसलिए वह प्रार्थीगण से रंजिश रखते हैं और इसलिए ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की उक्त आराजी पर जबरदस्ती प्रार्थीगण को बेदखल करने व आराजी मुतनाजा पर निर्माण करने पर उतारू हैं जिसकी बावत अप्रार्थीगण ने दिनांक 12.11.2018 को स्पष्ट रूप से धमकी दी कि अब तुम्हें तुम्हारी खातेदारी की उक्त आराजी से बेदखल कर इस आराजी को अपने कब्जे में ले लेंगे और इस पर पुख्ता निर्माण भी कर लेंगे। जबकि अप्रार्थीगण को इस प्रकार का कोई भी अधिकार हासिल नही है। इसी कारण प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये डिक्री अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनकी कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी से बेदखल नहीं करें और न ही कोई भी निर्माण कार्य करे तथा ऐसा कोई भी कृत्य आराजी मुतनाजा पर नहीं करें जिससे प्रार्थीगण के हकूकों पर विपरीत असर पड़े।

अंत में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद पाबन्द किये जावें कि वे प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी से बेदखल नहीं करें और न ही आराजी मुतनाजा पर कोई भी निर्माण कार्य करें। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में संवत 2071–2074 की जमाबंदी किता 3 व नक्शा पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये और अपना जबाव प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण ने अपने जबाव में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया है कि स्वयं प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.11.2018 को प्रार्थना पत्र धारा 151

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सी0पी0सी0 न्यायालय में पेश किया है जिसमे प्रार्थीगण द्वारा यह कहा गया है कि वादग्रस्त आराजी के अप्रार्थीगण द्वारा नींव खोदकर निर्माण कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है व निर्माण कार्य को हटाकर पूर्वस्थिति कायम की जावे। यद्यपि प्रतिवादीगण और अप्रार्थीगण द्वारा कोई भी निर्माण वादग्रस्त आराजी पर नहीं किया है लेकिन प्रार्थीगण ने यह स्वीकार कर लिया है कि उनका वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है और बिना कब्जे के प्रार्थीगण कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

खसरा नंबर 1702 व 1703 वाके ग्राम तुहिया तह0 भरतपुर अप्रार्थीगण के कब्जे की जगह है जो कि पट्टाशुदा है जिसको अप्रार्थीगण द्वारा जरिये वयनामा क्रय किया है और कब्जा किया है। वयनामा के बाद से ही अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण कर रिहायश की जा रही है अप्रार्थीगण द्वारा 1701 में भी हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड इकरारनामा द्वारा क्रय किया है और निर्माण कार्य कर रिहायश की जा रही है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी व उनके द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किया। बिंदुवार विवेचन निम्नानुसार है –

1. **प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :–** प्रथम दृष्ट्या प्रकरण साबित करने के लिए प्रार्थीगण को अपना कब्जा प्रमाणित करना है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात (जमाबंदी) से वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज है, लेकिन इसके विपरीत प्रार्थीगण द्वारा स्वयं ही प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. का दिनांक 26.11.2018 को पेश कर यह अंकित किया है कि अप्रार्थीगण ने दावे की जानकारी होते ही दिनांक 16.11.2018 को प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त आराजी में नींव खोदकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। इससे यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि खसरा नंबर 1701, 1702 व 1703 को अप्रार्थीगण ने जरिये वयनामा/इकरारनामा से क्रय किया है। जिस पर निर्माण कार्य कर रिहायश की जा रही है व आराजी पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा है, कब्जे की बावत दोनों ही पक्षों की स्वीकारोक्ति है कि वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। जहां तक प्रार्थीगण का कथन कि खसरा नंबर 1701, 1705, 1711,1712, 1713 वाके ग्राम तुहिया से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करना चाहते हैं तथा अप्रार्थीगण का कथन है कि उनका कब्जा खसरा नंबर 1701, 1702, 1703 वाके ग्राम तुहिया पर है। वादग्रस्त आराजी में कौन–कौन से खसरा नंबरान पर किसका कब्जा है, यह तथ्य तो मूल दावा के निस्तारण में दोनों पक्षों की साक्ष्य आने के उपरांत ही तय किया जाना संभव है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी में कोई दखलंदाजी कर रहे हों। अपितु अप्रार्थी अपनी वयनामा/इकरारनामा से क्रय की गई आराजी पर ही काबिज होकर रिहायशी निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण के हक में सिद्ध होना प्रतीत नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलन :–** चूँकि प्रार्थीगण के हक में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सिद्ध होना नहीं पाया गया है और न ही आराजी पर उनका कब्जा प्रमाणित है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के हक में सुविधा का संतुलन भी पाया जाना प्रतीत नहीं होता है।

3. **अपूरणीय क्षति :–** चूँकि अप्रार्थीगण के हम में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन सिद्ध नहीं हो पाये हैं इस कारण अपूरणीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः उपरोक्त तीनों बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं हो पाये हैं अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी.ए. काबिल खारिज के है।

अतः आज्ञा है कि –

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official